-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मटौंध पुलिस कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले 10-10 हजार रुपए के इनामियां 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.03.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर फर्जी जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले 10-10 हजार रुपए के इनामिया 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खुटला निवासी देबिया पुत्र चैतुवा द्वारा दिनांक 12.02.2026 को थाना मटौंध पर सूचना दी गई कि दिनांक 06.08.2025 को उनकी जमीन को कुछ लोगों द्वारा योजना बनाकर कूटरचित दस्तावेजों व आधार कार्ड का प्रयोग कर उनकी हटेटी पुरवा की लगभग 34 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बिजली खेड़ा निवासी आजम खान के नाम कर दी । जिसके सम्बन्ध में थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 14.03.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गोयरा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. केदार पुत्र शिवनंदन निवासी इंटवा थाना मटौंध जनपद बांदा ।
2. दिलीप पुत्र इन्द्रपाल निवासी लुकतरा थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 29/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)340(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 थाना मटौंध श्री दीपेन्द्र सिंह
2. म0उ0नि0 सृष्टि नगायच
3. कां0 रवि कुमार
4. हो0गा0 कमल साहू